रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2006/फाल्गुन 25, 1927

No. 241] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2006/PHALGUNA 25, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2006

का.आ. 332(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ 422 (अ) तारीख 24 मार्च, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 187.200 कि.मी. से 239.00 कि.मी.(सागर–राजमार्ग चौराहा सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3)के अधीन तारीख 16 अप्रैल, 2005 को "राज्य की नई दुनिया" और तारीख 16 अप्रैल, 2005 को "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 187.200 कि.मी. से 239.000 कि.मी. (सागर – राजमार्ग चौराहा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सागर	सागर	(i) बम्होरी बीका	1	सरकारी	असिंचित	9.850	केन्द्रीय सुरक्षा विभाग
			(ii)चितौरा	783	सरकारी	असिंचित	0.045	मध्य प्रदेश सरकार
				839	सरकारी	असिंचित	0.967	मध्य प्रदेश सरकार
			(iii)बेरखेड़ी गुरू	232	सरकारी	असिंचित	0.220	केन्द्रीय सुरक्षा विभाग
			(iv)सुरखी	31/1	सरकारी	वन	1.390	मध्य प्रदेश सरकार
				32	सरकारी	वन	0.560	मध्य प्रदेश सरकार
			(v)बरनावद	1	सरकारी	असिंचित	0.174	केन्द्रीय सुरक्षा विभाग

[फा. सं. भाराराप्रा/30030/एनएचडीपी-II/एनएस-I/एलए-3घ/सागर-1/भू.अ.-139]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION
New Delhi, the 16th March, 2006

S.O. 332(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O 422 (E), dated the 24th March, 2005, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening), maintenance, management and operation of National Highway No. 26 on the stretch of land from Km 187.200 to Km 239.000 (Sagar – Rajmarg Chouraha Section) in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Rajya Ki Naidunia", dated the 16 April, 2005 and "Dainik Bhaskar", dated the 16 April 2005, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km187.200 to Km 239.00 (Sagar-Rajmarg Chouraha Section) on the National Highway No 26 in the State of Madhya Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the Tehsil	Name of the village	Khasra number	Type of land	Nature of land	Area in hectares /	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sagar	Sagar	)Bamhori Bika	1	Government	Unirrigated	9.850	Central Security Department.
			(ii)Chittora	783	Government	Unirrigated	0.045	Madhya Pradesh Government
				839	Government	Unirrigated	0.967	Madhya Pradesh Government
			(iii)Berkheri Guru	232	Government	Unirrigated	0.220	Central Security Department
			(iv)Surkhi	31/1	Government	Forest	1.390	Madhya Pradesh Government
				32	Government	Forest	0.560	Madhya Pradesh Government
			(v)Barnawad	1	Government	Unirrigated	0.174	Central Security Department

[F. No. NHAI/30030/NHDP-II/NS-I/LA-3D/Sagar-1/LA-139]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.